UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : History
Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 149-151
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Co-Operative Dairying : An Instrument of Rural Development (with special reference to Gujarat)

Dairying in India is one of the most ancient and prominent subsidiary occupations to agriculture. It plays a vital role in improving the rural economy by supplementing farmers' incomes and reducing disguised unemployment by utilizing the available idle family members of the farmers' families. Apart from its role in milk production, the dairying sector contributes a huge quantity of organic manure, which is one of the major inputs in our agriculture. Gujarat is one of the leading states in the Indian dairy sector. The state is a pioneer in Dairy development through cooperative organization being the starting point for the "Operation Flood".
Keywords : Dairying, Gujarat, Co-Operatives, Rural Development.

Dr. Priyanka Arora

Introduction :

Dairying in India is overwhelmingly a rural activity and practised by millions of small holders as a part of mixed farming systems, wherein households combine crops and animal husbandry. In such a system, dairy animals besides generating food for household consumption provide draught power (for cultivation of crops and transportation of goods and services) and dung as manure and fuel while sustaining on crop residues and by-products. This synergy between crops and animals not only sustains household food security but also contributes to the sustainability of the agricultural production system and environment conservation by substituting the non-renewable chemical energy use in crop production(Apte,1993). According to International Cooperative Alliance (2005), a cooperative can be defined as "an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise".Dairy cooperative is thus, an association of small land-holders, milk producers, marginal farmers and landless labourers organised to produce milk and milk products, collection of milk, carry out research to maintain the quality of milk and bovine, manage the farm, production of fodder and marketing the milk and milk products. Dairy cooperatives are acclaimed as an effective instrument for the economic uplift of the rural poor. The National Commission on Agriculture in its interim report on milk production of 1971 recommended the integrated development of all sections of the rural people in the rural areas and in this context, recommended the increasing demand for milk in large cities, towns and industrial areas should go to small and marginal farmers, and landless labourers. Every effort should be made to promote as much milk production possible through this section of rural population it advised. The Commission suggested an integrated rural development approach based on a system of producer's Cooperatives as developed in Kheda (Kaira) district of Gujarat. The paper aims to trace the development of dairy sector as an organised occupation with cooperative organization playing a prominent role in making dairy a successful and established venture in Gujarat and simultaneously, highlighting its role in transforming the socio-economic changes in the rural sector particularly, in Gujarat and highlights the contribution of dairying both directly in improving rural income and employment, and indirectly in development of rural overheads like construction of roads and approach roads, primary facilities such as rural electrification and health services, building of schools and other public social service organizations and bringing development particularly in the rural sector. Equally significant, is the role and contribution of women who are actively involved in the dairying activity.

The earliest attempts of dairy development can be traced back to British rule, when the Defence department established military dairy farms to ensure the supply of milk and butter to the colonial army which did not had any impact on the supply of milk to the urban consumers which was of major concern to civilian authorities. (Huria and Acharya, 1980). With the growth of population in the urban areas, and to some extent, World War-II gave an impetus to private dairies with modestly modernized processing facilities. PolsonsKeventers and the Express Dairy were some of the

Post-doctoral Research Scholar (Department of History), B.B. Ambedkar University,

pioneer urban processing dairies. These dairies contracted middlemen for milk supply and milk producers and consumers were exploited. Therefore, despite modernized processing facilities, dairying remained unorganized.With the initiation of India's First Five-year plan in 1951, modernization of Dairy industry became a priority for the Government. To stimulate milk production Government implemented, the Integrated Cattle Development Project(ICDP), and the Key Village Scheme(KVS), among other similar programmes. But, still the government dairies set up were unable to meet the demands of consumers in the urban areas as there was no organized system of milk procurement.

In the mid-1940s, when the milk producers in Kaira asked for a proportionate share of the trade margins, they were denied. The milk producers went on strike, refusing to supply milk to Polsons. (A private dairy at Anand-procured milk from milk producers through middlemen, processed it and then sent the milk to Bombay, some 425 kms away) (Kortens,1981). Therefore, on the advice of Sardar Vallabhbhai Patel, a leader in the India's independence movement, the milk producers registered the Kaira District Cooperative Milk Producer's Union now popularly known as AMUL, in 1946. The Kaira union procured milk from the affiliated village level milk societies. This was the genesis of organised milk marketing in India, a pioneering effort that opened a new vista for dairy development in the country(Gupta,1987)

The strategy for organized dairy development in India was actually conceived in the late 1960s, within a few years after the National Dairy Development Board was founded in 1965. In October 1964, on the occasion of the inauguration of Amul's cattle feed plant, the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri, spent the night as the guest of a village cooperative society near Anand (Gujarat). Impressed by the socio-economic changes brought about by the milk cooperatives, expressed the desire for a national level organization to replicate Anand Model dairy cooperatives throughout the country and to make available multi-disciplinary, professional dairy expertise to dairies in the public and cooperative sectors. Thus, in 1965, National Dairy Development Board was registered under the Societies Registration Act, the Charitable Trust Act and the Public Trust Act and headquarters were established at Anand.

With the launch of Operation Flood in 1970, it helped the dairy farmers direct their own development, placing control of the resources they create in their own hands. The bedrock of Operation Flood has been the village milk producer's cooperatives, which procure milk and provide inputs and services, making modern management and technology available to members. Its objectives were to increase milk production, augment rural incomes, fair prices for consumers. Launched in three phases, i.e. Phase I-(1970-1980)-It linked 18 of India's premier milk-sheds with consumers in India's four major metropolitan cities, i.e., Delhi, Mumbai, Calcutta and Madras); Phase II- (1981-85)-It increased the milk sheds from18 to 136; 290 urban markets expanded the outlets for milk. By the end of 1985, a self-sufficient system of 43,000 village cooperatives covering 4.25 million milk producers had become a reality.) Phase III-(1985-1996) -It enabled dairy cooperatives to expand and strengthen the infrastructure required to procure and market increasing volumes of milk. This phase consolidated India's dairy cooperative movement adding 30,000 new dairy cooperatives to the 42,000 existing societies during Phase III.

The Indian dairy sector acquired substantial growth momentum from the Ninth Plan onwards achieving an annual output of 137.6 million tonnes of milk during 2013-14 representing sustained growth in the availability of milk and milk products of the growing population and for whom milk and milk products constitute an important part of food and nutritional supplement. More than 70 million of approximately 147 million households are dependent on dairying for their livelihood. A majority of milk producers have one or two milch animals, and these small producers account for some 70 per cent of the milk production. On an average, 22.5 per cent of the income of rural households is contributed by milk. There are about 100,000 village milk cooperatives with 11 million farmers own 68% of milch animals and contribute nearly 62% of total milk produced. Around 63% of the available animal protein in Indian diet comes from milk(GOI,2001). The first co-operative milk union in Gujarat was set up in 1946 and in 1970-71, Gujarat state had 11 co-operative milk union with 3,079 members and 1,736 primary producers' societies with 3.3 lakh members. Kaira Co-operative Milk Producer's Union Limited started functioning in June 1948, with two villages producing just 250 litres of milk per day. By 1970-71 the union had 706 affiliated societies with 1,80,000 farmer needs. The quantity of milk collected during 1969-70 was 1,24,000 tonnes and the farmers were paid Rs. 19.39 crores. The average daily collection of milk was about 3.40 lakh litres and to Anand and neighbouring town about 50,000 litres increasing to 13,572 (thousands kgs per day) with 17,025 dairy cooperatives in 2013-14.

Therefore, dairying was seen as an instrument of development, generating employment, alleviating poverty and ensuring regular incomes for millions of rural people. According to World Bank, 1999 “Operation Flood can be viewed as a twenty-year experiment, confirming the Rural Development Vision”. Rural development implies both the economic betterment of people as well as greater social transformation. Increased participation of people in the rural development process, decentralization of planning, better enforcement of land reforms and greater access to credit and inputs to go a long way.in providing the rural people with better prospects for economic development. Improvements in health, education, drinking water, energy

supply, sanitation and housing coupled with attitudinal changes also facilitate their social development. Renowned Sociologist B.S.Baviskar explains that "Operation Flood was considered a means of overcoming the barriers of caste, class, and power, something earlier rural development programs had been unable to do." The milk cooperatives also gave assistance for various welfare programmes/ purposes and initiated many rural development activities in the village through various funds raised out of their savings. (Patel V.M., 1987)The trust named Tribhuvandas Foundation funded by village level dairy cooperative societies and Amul was set up to lay emphasis on the prevention of disesases, infant and child care, care of pregnant mothers, child nutrition and income generation activites. In 1992,Amul introduced scholarship schemes to encourage outstanding children of farmers in pursuing higher studies.It also undertakes Self Managing Leadership Programme for women resource persons through BrahmakumariIswariya Vishwa Vidyalaya at Mt. Abu to bring a value based approach in development process. The setting up of women dairy cooperative societies has led to the empowerment of women. The dairy cooperatives in AMUL brought out many benefits to the milk producers in the village through providing a guaranteed market for milk at a fixed price, supply cattle feed at a reasonable cost, regular and efficient veterinary and extension services at the village and there is no parallel to what AMUL has done for the milk producers in Kheda. (Baviskar, B.S.,1990).

Conclusion :

The pace of dairy development in Gujarat was very fast due to assured market, reasonably good prices for milk supplied to the dairy and easy access for all to health care services offered by the co-operative dairy sector. The policy of the state government is to support dairy development through the co-operative sector. Thecooperative movement in this sector starting with Amul Dairy in Kheda district has spread to the districts of Mehsana, Sabarkantha, Banaskantha, Vadodara and Surat. An additional reason for giving importance to dairy development is the scope for rural employment, reduction of pressure of urbanisation and scope for socio-economic changes in rural Gujarat. The state aims at the development of animal husbandry and dairying as an important sector of the state economy because the gross value of output from livestock constitutes about 20 percent of the gross value of the output from agriculture and livestock together that helps generate the best alternative additional income and employment for poor, rural farmers. Milk and milk products constitute the main livestock products by contributing about 80% gross value of output from livestock. (Narayan B.K.,1971). Thus, the success of the dairy industry has resulted from the integrated co-operative system of milk collection, transportation, processing and distribution, conversion of the same to milk powder and products, to minimize seasonal impact on suppliers and buyers, retail distribution of milk and milk products, sharing of profits with the farmer, which are ploughed back to enhance productivity and needs to be emulated by other farm produce/producers. Due to processing facilities in Gujarat being spread out geographically value-added products like ice cream, Shrikhand, butter milk etc have place more disposable income in the hands of rural households besides leading to minimal wastage of milk.

References :

(1) *Apte, D.P. (1993) : "The Role of Cooperative Dairy Schemes in Rural Development in India", In: Attwood and Baviskar(eds.), Who Shares Cooperatives and Rural Development, Oxford University Press.*

(2) *Huria, Vinod K. and Acharya, K.T. (1980) : "Dairy development in India: Some Critical Issues", Economic and Political Weekly, vol.XV(45&46) Nov 8-15.*

(3) *KortenD.C. (1981) : "Rural development programming, The learning process approach", pg-1-8, Rural Development Committee, Winter 1981, Rural Development Participation Review-2, Ithaca, NY, U.S.A, Cornell University.*

(4) *Gupta P.R. (1987) : "Dairy in India", Rekha Printers Private Limited, New Delhi.*

(5) *Government of India (2001) : Annual Report2000-01, Department of Animal husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture.*

(6) *Patel V.M. (1987) : "Impact of Milk Cooperatives in Gujarat" Indian Dairyman, vol.39 (6), June.*

(7) *Baviskar, B.S. (1990) : "Dairy Cooperatives and Rural Development in Gujarat" In Doornbos M, and Nair, K.N.(Eds.), Resources, Institutions and Strategies: Operation Flood and Indian Dairying, Sage publications, New Delhi.*

(8) *Narayan B.K. (1971) : "Spread effects of Dairy Enterprise- A case study of Anand" A report of research project by Small Industry Extension Training Institute, Hyderabad.*

UGC -

APPROVED - JOURNAL

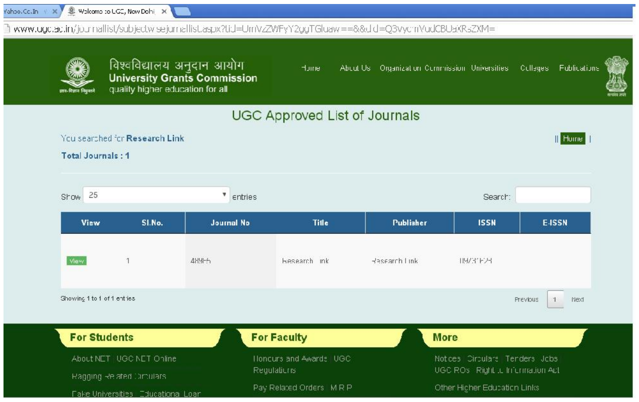

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : History
Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 152-154
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन का विकास : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र, प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन के विकास के अध्ययन से सम्बंधित है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार के विवाद का निदान करने में श्रेणी संगठनों की अहम् भूमिका होती थी। इस तरह की संगठनात्मक संस्थाएँ अधिकारों से परिपूर्ण होते थे। यदि कोई शिल्पी गलत कार्य करता था, तो उसे अपदस्थ करने का अधिकार श्रेणी संगठन को प्राप्त था। जातक कथाओं और साहित्यिक ग्रंथों में विभिन्न पेशे वाले श्रेणियों का वर्णन है। ऐसे पेशे निम्न थे - बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, इन्तकार, ओदयंत्रिक, वंसकर, कसकर, रत्नकर, कृषक, मछुआरे, महाजन आदि प्रमुख थे। धार्मिक क्षेत्रों में भी इन श्रेणियों की अहम् भूमिका थी। बौद्ध, जैन और हिन्दू धर्म के अनेक मंदिर और देवताओं की प्रतिमाएँ इन संगठनों के निर्देश पर बनाये गये थे। मन्दसोर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम के व्यापारियों ने एक भव्य सूर्यमंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार श्रेणी-संगठनों के द्वारा ही करवाया गया था।

डॉ.राणा उदय प्रसाद सिंह

प्राचीन भारतीय इतिहास में श्रेणी संगठन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन संगठनों का उद्भव समाज में विभिन्न क्षेत्रों में फैले श्रमजीवी संगठनों से हुआ। ऐसे इन संगठनों का सम्बंध व्यवसायिक श्रेणी संगठन से है। संगठित व्यापारिक समूह को ही श्रेणी कहा जाता है। विभिन्न श्रेणियाँ अलग–अलग व्यापारिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थीं। भारतीय आर्थिक जीवन को इन संस्थाओं ने प्रभावित किया और उसी परिप्रेक्ष्य में इनका विकास भी हुआ। इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं ने समाज के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया। स्वतंत्र तथा क्रियाशील संस्था के रूप में उसने समाज और देश को समय–समय पर प्रेरणा दी, जिससे राष्ट्र का भौतिक और अध्यात्मिक उत्थान हो सके।

बौद्धकाल में इन संगठनों की चर्चा आयी है। मौर्यकाल तक इन संगठनों का विकास हो चुका था। दक्षिण में सातवाहनों के शासन काल में व्यापारिक और औद्योगिक श्रेणियाँ अधिक संख्या में थीं। गुप्तकालीन लेखों में श्रेणियों का वर्णन किया गया है। एक अभिलेख में श्रेणी प्रमुख व्यापारियों और कारीगरों के समूह तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं के उल्लेख से इस काल के आर्थिक स्थिति का पता चलता है।[1]

प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रेणी के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे–कुल, ब्रात, जाति, संघ, समुदाय, समूह, सम्यूय, समुत्थान, परिब्त, वर्ग, सार्क और निगम। ऋग्वेद में व्यापारियों के संगठन की तुलना हसों के समूह से किया गया है।[2] वस्तुतः श्रेणी संगठन का समस्त आर्थिक पहलू उसके समूह पर ही निर्भर करता है। 'श्रेष्ठि' और 'गण' जैसे शब्दों का वर्णन वैदिक ग्रंथों में किया गया है, जो क्रमशः श्रेणी के मुखिया और निगम संगठन की ओर इंगित करते हैं। यानि सहयोग और सहकारिता के आधर पर वैश्य अर्थोपार्जन करते थे, ऐसे संगठनों को 'गणशः' कहा गया है। श्रेणी के प्रधान को 'प्रमुख' या 'जेटक' के अतिरिक्त 'श्रेष्ठय' के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य ने शिल्पकारों के समूह को श्रेणी कहा है।[3] साथ ही कृषि, व्यापार और सैनिक कार्य करने वाले लोगों की सरकारी संस्था को भी श्रेणी कहा है।[4]

मनु पर भाष्य करते हुए मेघातिथि ने वेदों को जानने वाले ब्राह्मण, वणिक और शिल्पकार आदि संघ को 'श्रेणी संगठन' कहा है।[5] जबकि मिताक्षरा में भिन्न–भिन्न जाति के लोगों के संगठन को श्रेणी कहा गया है।[6] वीर मित्रोदय ने भी ऐसे शिल्पकारों को 'रेणी' की संज्ञा दी है।[7] नारद के स्मृति के अनुसार व्यवसायियों के सरकारी संस्था 'श्रेणी' के अन्तर्गत आते थे।[8] 'महाभारत' के वनपर्व से ज्ञात होता है कि श्रेणी का प्रयोग व्यापारियों के संगठन के अर्थ में किया गया है।[9]

'पूग' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौषितकि ब्राह्मण में हुआ है, जहाँ शूद्र को 'पूग' कहा गया।[10] बौद्ध–साहित्य में सरकारी संस्थाओं के लिए 'पूग' शब्द का व्यवहार किया गया है। वीर मित्रोदय में हाथी और अश्व पर चढ़ने वाले लोगों के समूह को 'पूग' कहा गया है।[11] याज्ञवल्क्य में भी 'पूग' का वर्णन है, जिस पर मिताक्षरा ने भाष्य करते हुए कहा है कि विभिन्न वृत्तियों को अपनाकर एक ही नगर और ग्राम में निवास करने वाले विभिन्न जाति के लोगों को 'पूग' कहा जाता था।[12] जब श्रेणी–संगठन जाति–पाति एवं उँच–नीच के भेदभाव से उपर उठकर एक ही ग्राम तथा नगर में निवास कर अपने हितों की रक्षा करते थे।

मौर्यकाल में शिल्प–श्रेणियों ने अपने व्यवसाय को आधार मानकर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे शिल्पी बहुत बड़ी संख्या में इन श्रेणियों के सदस्य होते थे, क्योंकि

इतिहास विभाग, बख्तियारपुर नयाटोला संगत, पटना (बिहार)

व्यक्तिगत रूप से इन श्रेणियों से प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए कठिन था। उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ श्रेणियाँ किराये के श्रमिकों और दासों को काम पर लगाते थे। जिस इलाके में ये श्रेणियाँ काम करती थीं उन्हें अपना पंजीकरण कराना पड़ता था। किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए शिल्पी अपना स्वतंत्रा श्रेणी–संगठन का निर्माण कर सकते थे। प्रमुख श्रेणी संगठनों में कुम्भकारों (प्रजापति) धातुकारों, काष्ठकारों का नाम आदर के साथ लिया जाता है। वे अपने परम्परागत व्यवसाय के माध्यम से अपनी जीविका एवं परिवार का भरण–पोषण करते थे। जैसे–जैसे व्यापार का दायरा बढ़ा उसी परिप्रेक्ष्य में श्रेणी संगठनों का भी विकास हुआ।

मूलतः श्रेणी संगठन वस्तुओं के मूल्य से लेकर उसकी गुणवत्ता (quality) पर भी पूरा ध्यान रखते थे। श्रेणी–संगठन नियमों के माध्यम से व्यापार को नियंत्रित करते थे। श्रेणी–धर्म को कानून के समान ही मान्यता प्राप्त थी। श्रेणी–संगठन अपने सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करती थीं, यदि कोई विवाहित स्त्री भिक्षुणी बनकर बौद्ध संघ को स्वीकार कर लेती थी, तो उसे केवल अपने पति से, बल्कि उस श्रेणी की भी अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसका वह सदस्य है।

समाज में किसी प्रकार के विवाद का निबटारा करने में भी श्रेणी संगठनों की अहम् भूमिका होती थी। इस तरह की संगठनात्मक संस्थाएँ अधिकारों से परिपूर्ण होते थे। यदि कोई शिल्पी गलत कार्य करता था तो उसे अपदस्त करने का अधिकार श्रेणी संगठन को प्राप्त था। जातक कथाओं और साहित्यिक ग्रंथों में विभिन्न पेशे वाले श्रेणियों का वर्णन है। ऐसे पेशे वाले निम्न थे–(1) बढ़ई, (2) स्वर्णकार, (3) चर्मकार, (4) इन्तकार (5) ओदयंत्रिक, (6) वंसकर, (7) कसकर, (8) रत्नकर, (9) कृषक, (10)मछुआरे (11) महाजन आदि प्रमुख थे।

खुदाई में ऐसी बहुत सी मुद्राएँ मिली हैं, जिन पर श्रेणियों और निगमों के प्रतीक चिन्ह मुद्रांकित हैं। उत्सव–समारोहों के अवसर पर श्रेणियों की पताकाएँ और अधिकार चिन्ह शोभायात्रा में ले जाये जाते थे। ये अधिकार चिन्ह श्रेणी के प्रचार का माध्यम था। विदिशा के हस्तदन्त शिल्पियों की एक श्रेणी ने सांची स्तूप के चारो ओर कटघरों तथा प्रवेश द्वारों पर पाषाण–शिल्प को उत्कीर्ण किया था। स्वर्णकारों और रजतकारों की श्रेणियाँ किसी भी प्रकार के भेंट देने में उदार होते थे। नासिक गुफालेख में, शक राजा के आदेश पर मन्दिर में दान देने की बात कही गयी है। यह दान बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा दी गई थी।

गुप्त लेखों तथा मुहरों में कई स्थानों पर व्यावसायिक श्रेणियों के अस्तित्व का पता चलता है। मन्दसोर लेख से विदित होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में पटकार श्रेणी का वर्णन है। स्कन्दगुप्त के लेख में 'इन्द्रपुरनिवासिन्या तैलिक श्रेण्या' का वर्णन है। तैलिकों की एक श्रेणी के पास एक ब्राह्मण ने अक्षय निधि जमा की थी और उसके ब्याज से सूर्यमंदिर में दीपक जलाने का खर्च व्यय किया जाता था। इस तरह इस काल में पटकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, वणिक आदि व्यावसायिक श्रेणियों का संघ था।[13]

व्यापारियों में जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता था, वह संभवतः 'सेट्ठि' (श्रेष्ठि) कहलाता था। 'सेट्ठि' के पद प्रायः वंशानुगत होता था। समाज और राज्य में इनकी काफी प्रतिष्ठा थी। अट्ठान जातक से विदित होता है कि बनारस का राजकुमार और सेट्ठिपुत्रा गुरुकुल में एक साथ बैठकर विद्या अध्ययन करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कभी–कभी 'सेट्ठिपुत्रा' तक्षशिला विश्वविद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे।[14]

श्रेणियों के संवैधनिक व्यवस्था लोकतंत्र पर आधरित था। बौद्ध साहित्य में भी श्रेणी संगठनों और वणिक समुदायों की चर्चा की गई है। सेट्ठि अपने समुदाय और राज्य के विकास के लिए अनेक कार्य करते थे। राज्य के अन्य कार्यों के साथ–साथ व्यावसायिक एवं शिल्पी संबंधी कार्यों में भी 'श्रेणी' सलाह देने का काम करते थे। 'महावण' से ज्ञात होता है कि राजगृह का सेट्ठि शासक और व्यवसायिक समुदायों की सहायता करते थे।[15]

श्रेणी संस्था का एक खास कार्यालय होता था, जहाँ पर इसके सभी सदस्य एक साथ बैठकर सभी प्रकार के समस्याओं का निदान करते थे। संगठन के समस्त आमदनी सदस्यों के बीच एक समान से बाँट दिये जाते थे। यदि प्रबंधकर्त्ता ऋण में प्राप्त धन को श्रेणी के हित में व्यय करके व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर देते थे तो उस धनराशि को लौटाना पड़ता था।

श्रेणी संगठन के सभी सदस्यों को साधारण आम सभा से सहमति प्राप्त करनी पड़ती थी। इसके तहत श्रेष्ठिन् संघ में एक प्रमुख अधिकारी होते थे। विशाखदत्त ने इन्हें मंत्राी के समकक्ष बताया है। ग्यारहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में श्रेष्ठियों का स्थान उँचा था। सेट्ठियों का स्थान वाणिज्य–केन्द्रों के स्वामियों को प्राप्त था। जैसे–ऐहोल में वृति संघ अपने मालों पर ठप्पा लगाते थे। इस तरह भारत में वृति संघ का प्रचलन लम्बे समय से था।

श्रेणी संगठन आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होते थे, फलतः वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्यों का सम्पादन करते थे, जो समाज और देश दोनों के हित में होते थे। जन कल्याणकारी, धार्मिक, आर्थिक, वैधानिक, सैनिक आदि विभिन्न कार्य उनके द्वारा होते थे। श्रेणियों से राजकीय कोष को आमदनी भी पर्याप्त मात्रा में मिलते थे। विपत्ति और संकट की घड़ी में राज्य को इस श्रेणियों से ऋण भी प्राप्त होता था।

वृहस्पति स्मृति से विदित होता है कि जनहित में श्रेणियों की ओर से विश्रामगृह, पंथशाला, सभागृह आदि बनवाये जाते थे। साथ ही वे समाज के गरीब और असहाय व्यक्तियों की भरपूर सहायता करते थे। दुर्भिक्ष के समय पीड़ितों की रक्षा करना भी इनका परम कर्त्तव्य था।[16]

धार्मिक क्षेत्रों में भी इन श्रेणियों की अहम् भूमिका थी। बौद्ध, जैन और हिन्दू धर्म के अनेक मन्दिर और देवताओं की प्रतिमाएँ इन संगठनों के निर्देश पर बनाये गये थे। मन्दसोर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम के व्यापारियों ने एक भव्य सूर्यमंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार श्रेणी–संगठनों के द्वारा कराया गया था।[17] ग्वालियर अभिलेख से विदित होता है कि तैलिक श्रेणी तेल और माली श्रेणी ने मन्दिर को माला देना स्वीकार किया था। जुन्नर के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि अनाज व्यापारियों ने एक गुफा तथा एक कुण्ड दान में दिया था।

व्यापारिक श्रेणियाँ कभी–कभी अपनी मुद्राएँ भी चलाती थीं।

इलाहाबाद के 'सहजाति' नामक एक प्राचीन टीले की खुदाई से मौर्ययुगीन एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर प्राकृत में 'सहजातिये निगमस' लिखा है। इससे स्पष्ट है कि सहजाति नामक कोई नगर रहा होगा और उसी स्थान के व्यापारिक संगठन ने यह मुद्रा प्रचलित किया होगा। तक्षशिला से प्राप्त तीसरी सदी ई. की मुद्राओं पर 'नेगम' अंकित है, जो उनकी महत्त्वपूर्ण स्थिति की ओर इंगित कराता है। मुद्राओं के अतिरिक्त मुहरों का भी प्रचलन था। नालन्दा, कोशाम्बी और वैशाली (वसाढ़) से प्राप्त मुहरें इनकी नैगम व्यवस्था का चित्रा उपस्थित करती है। यानि कुमारामात्म और नगरश्रेष्ठि की तरह सार्थवाह और निगम भी अपनी मुहरें प्रचलित करते थे।

बैंक की भूमिका में श्रेणी संघ का महत्त्व :

श्रेणी संगठन अथवा निगम बैंक के रूप में भी कार्य करते थे। बैंक मूलतः आम लोगों को ऋण देने का काम करता था। साहित्यिक ग्रंथों और अभिलेखों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। श्रेणी संघ महाजनी (बैंकिंग बिजिनेस) का भी काम करते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त ने भिन्न–भिन्न तरह के कामों में श्रेणी संघ के बैंकों का उपयोग किया था। श्रेणी संघ कोषागार के साथ 'कर' वसूलने का भी काम करता था। कनिंघम का मत है कि वणिक संघ अपने सिक्के चलाते थे। कामन प्रस्तर अभिलेख से विदित होता है कि कुम्हकारों तथा कर्मकारों के विकास के लिए अलग–अलग रकम देने की व्यवस्था थी।[18]

इतना ही नहीं, बल्कि ये श्रेणी संगठन बाजार के भाव को नियंत्रित करती थी, अर्थात् वे वस्तुओं के क्रय–विक्रय मूल्यों पर भी नजर रखते थे। श्रेणियों के सदस्य दूर–दूर तक व्यापार के लिए जाते थे और अपने संघ के व्यावसायिक लाभ में सहयोग प्रदान करते थे। समाज में इन श्रेणियों को वैधानिक और न्यायिक दोनों प्रकार की प्रतिष्ठा कायम थी, जो समय–समय पर संघ के द्वारा अनुपालित होते रहते थे। गौतम ने ऐसी व्यवस्था की सराहना की है।[19] कौटिल्य, वृहस्पति एवं याज्ञवल्क्य ने भी श्रेणी के सैनिक–शक्ति का उल्लेख किया है। साहित्यिक स्रोत रामायण और महाभारत में भी श्रेणी संघ और बैंकिंग की चर्चा की गई है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन श्रेणी व्यवस्था स्वतंत्र और विकसित संस्था थी, जो संवैधानिक नियमों से आबद्ध थी। साथ ही यह संस्था राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं न्यायिक दृष्टिकोण से भी काफी परिपक्व थी। तात्पर्य यह कि इसने समाज के हर पहलू को छूने का काम किया साथ ही श्रेणी संघ ने निरन्तर देश के आर्थिक आयामों को भी कमोवेश प्रभावित किया।

संदर्भ :

(1) इण्डेकर : ए हिस्ट्री ऑफ्फ द गुप्ता, पृ. 195.

***(2)** ऋग्वेद : हंसा इप श्रेणिशों यतन्ते।*

***(3)** अर्थशास्त्र : 5.2–एकेन शिल्पेन पण्येन ये जीवन्ति तेषा समूहः श्रेणी अष्टध्यायी, 2.1.59 श्रेणायः कृतादिमिः।*

***(4)** पूर्वोक्त, 2.4.*

***(5)** मेघातिथि, मनु. 8.41, एक कार्यापन्ना वणिककुरुकुसीद चातुर्विधदयः।*

***(6)** मिताक्षरा 2.192.*

***(7)** वीरमित्रोदय, 7.333.*

***(8)** नारद, 1.7.*

***(9)** महाभारत, वनपर्व 249–16.*

***(10)** कौषीतकि ब्राह्मण, 16.7, रूद्रौ वै पूगः।*

***(11)** वीर मित्रोदय, पूगाः हस्त्यश्वारोहादयः।*

***(12)** याज्ञवल्क्य, 2.30.*

***(13)** थापर, रोमिला : भारत का इतिहास, पृ. 84.*

***(14)** घोषाल, डॉ. यू.एन. : क्लासिकल एज, पृ. 193.*

***(15)** पूर्वोक्त।*

***(16)** वृहस्पति स्मृति, 178.*

***(17)** इण्डियन एण्टिक्वैरी–20.*

***(18)** याज्ञवल्क्य 2.187–190.*

***(19)** वीरमित्रोदय, पृ. 423.*

❁ ❁

UGC -

APPROVED - JOURNAL

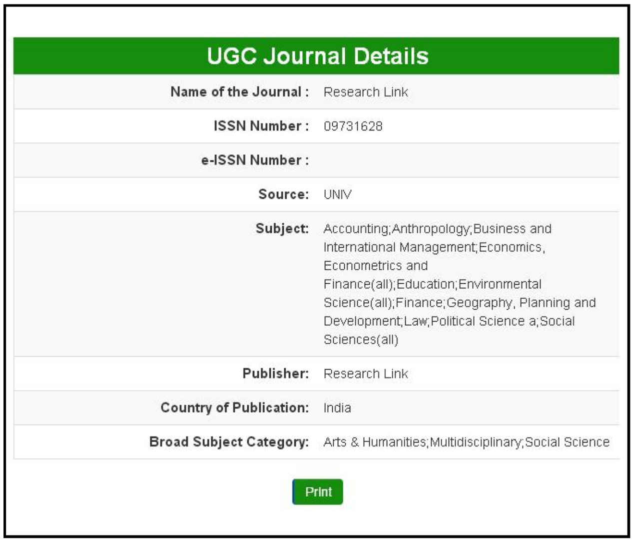

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

Print

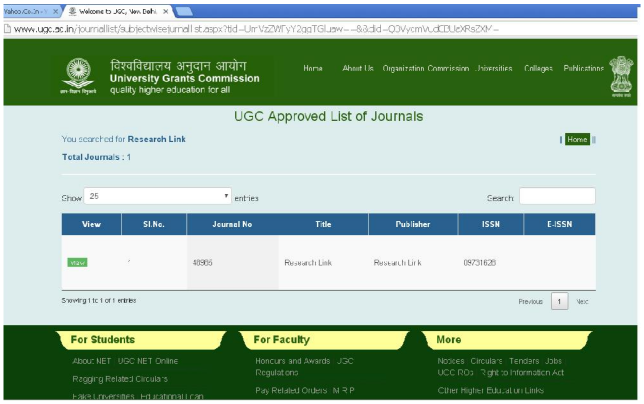

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal : History

Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 155-157

ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

प्राचीन भारत में न्याय-व्यवस्था मौर्यकाल तक

प्रस्तुत शोधपत्र में प्राचीन भारत में न्याय-व्यवस्था का अध्ययन, मौर्यकाल तक किया गया है। हिन्दू विधि का उद्‌गम वेदों व स्मृतियों से हुआ है, जिसमें विचारों व सिद्धांतों का समन्वय देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, अपास्तम्बा, वशिष्ट व गौतम स्मृतियाँ शामिल हैं। यह ध्यान का विषय है कि ये कानून किसी सभा या शासन द्वारा पारित नहीं थे, जैसा कि वर्तमान भारत में कानून निर्माण संसद का कार्य होता है। ये कानून जो इन स्मृतियों में उद्‌घाटित हुए हैं, उनकी रचना तत्कालीन संस्कृत के महान विद्वानों द्वारा की गई थी, जिन्हें विधि का विशेष ज्ञान था। समय के साथ-साथ इन स्मृतियों को सरल व स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से विद्वानों ने इन पर निबंध व टीकाएँ भी लिखनी आरंभ कर दी थी।

डॉ.दिनेश कुमार

प्राचीन भारत में गणित, विज्ञान, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, साहित्य आदि में ही नहीं, बल्कि कानून के क्षेत्र में भी विकास हुआ। यह प्राचीन ग्रंथों व टीकाओं से प्रमाणित होता है। ''प्राचीन विधि साहित्य का छोटा भाग ही समय के परिवर्तन को सहन कर पाया और जो बचा वह बहुत है।'' हिन्दू विधि का उद्‌गम वेदों व स्मृतियों से हुआ है। जिसमें विचारों व सिद्धान्तों का समन्व्य देखने को मिलता है। इन स्मृतियों में प्रमुख तौर पर मनुस्मृति, याज्ञवल्कय स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, अपास्तम्बा, वशिष्ट व गौतम स्मृतियां शामिल हैं। यह ध्यान का विषय है कि ये कानून किसी सभा या शासन द्वारा पारित नहीं थे, जैसा कि वर्तमान भारत में कानून निर्माण संसद का कार्य होता है। ये कानून जो इन स्मृतियों में उद्‌घाटित हुए हैं, उनकी रचना तत्कालीन संस्कृत के महान विद्वानों द्वारा की गई थी, जिन्हें विधि का विशेष ज्ञान था। समय के साथ–साथ इन स्मृतियों को सरल व स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से विद्वानों ने इन पर निबंध व टीकाएँ भी लिखनी आरंभ कर दी थी। विजनानेश्वर द्वारा 'मिताक्षरा' नाम की टीका याज्ञ्यवलक्य स्मृति पर लिखी गई थी। जिमुतवहन ने भी 'दयाभागा' पुस्तक लिखी, यह पुस्तक किसी एक स्मृति पर आधारित ना होकरा अनेको स्मृतियों पर संयुक्त रूप से टीका थी। नंदा पंडित द्वारा रचित 'दत्तक मिमांश' विशेष रूप से दत्तक–ग्रहण सम्बंधित कानूनों पर रचित पुस्तक है। आगे चलकर टीकाओं पर भी टीकाए लिखी गई। 'विरअमित्रोदय' नामक टीका 'मिताक्षरा' पर लिखी गई थी। जिसने मिताक्षरा के 'बनारस' संगठन को जन्म दिया। प्राचीन काल में, भारत में प्रथा पर आधारित कानून थे, क्योंकि उस समय वर्तमान की तरफ किसी प्रकार की संसद या संविधान की धारणा प्रचलित नहीं थी। प्रथा पर आधारित कानून व न्याय–व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि कुछ विषयों पर ये चुप थे, तो कई विषयों पर अनिश्चित थे, जिस कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। प्रथा पर आधारित नियम समाज व व्यक्ति के जीवन को संचालित करते थे। प्रथा पर आधारित नियम बताते थे कि मृत्यु होने पर सम्पत्ति का बटवारा किस प्रकार होना चाहिए। परन्तु निसंतान दम्पत्ति की मृत्यु पर सम्पत्ति का बटवारा कैसे हो, इस पर अनिश्चिता व्याप्त थी। इस अनिश्चिता को दूर करने के लिए विषय पर गहन अध्ययन व पुस्तकों की आवश्यकता समय की मांग थी; जो स्मृतियों व टिकाओं के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हुई। यह सत्य है कि प्रथा पर आधारित कानून हमेशा लिखित स्मृतियों व टीकाओं पर प्राथमिकता पाते रहे, परन्तु प्रथा आधारित किसी नियम व कानून को प्रमाणित करना इतना आसान काम नहीं होता था। हिन्दू–विधि को दो भागों में बाँटा गया था जिसे 'मिताक्षरा' व 'दयाभागा' कहा गया। 'मिताक्षरा' का प्रचलन सम्पूर्ण भारत (बंगाल व आसाम को छोड़कर) में था। बंगाल व आसाम में 'दयाभागा' की शाखा प्रचलित थी। इनमें मुख्य अन्तर इस कारण था कि विद्वानों द्वारा 'पिण्डा' शब्द की अलग–अलग धारणाएँ व व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई थी। परम्परागत हिन्दू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति, मृतक के श्राद्ध का अधिकार रखता है; तो हिन्दू जीवन के अनुसार मृतक की सम्पत्ति पर उसी का अधिकार होगा। अतः श्राद्ध कर्म को सम्पत्ति के अधिकार से जोड़ा गया था। 'प्रवना–श्राद्धा' नामक संस्कृत पुस्तक में बताया गया है कि कौन व्यक्ति श्राद्ध कार्य सम्पन्न करने के योग्य है। इसके अनुसार; प्रथम अधिकार पुत्र का, उसके पश्चात पौत्र का व उसके पश्चात पर–पौत्र का स्थान आता है। 'दयाभागा' में व्यक्ति जन्म से सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं करता, इसके विपरीत 'मिताक्षरा' में जन्म के साथ ही व्यक्ति यह अधिकार प्राप्त कर लेता है।

वैदिक–काल में राजतन्त्र शासन प्रणाली थी, साधारणतः

गन्नौर, सोनीपत (हरियाणा)

पैतृक आधार पर राजतन्त्र आधारित था, परन्तु ऋग्वेद में ऐसे भी उदाहरण हैं, जब लोगों ने दुष्ट राजाओं को गद्दी से उतार कर लोकतान्त्रिक तरीके से नये राजा का चुनाव किया। राजा निरंकुश नहीं होता था; उसे सभा व समिति नामक संस्थाओं की सलाह के अनुसार चलना होता था। राजा का मुख्य कार्य; अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाना, जनता को न्याय प्रदान करना, अपराधियों को सजा देना व कानून व्यवस्था बनाए रखना था। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह राज्य के कानून के अनुसार शासन चलायेगा तथा सबके साथ एक समान परिस्थितियों में समान न्याय करेगा। राजा सेना का मुख्य सेनापति व राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था। राजा दण्ड से भी ऊपर था, इसलिये उसे 'अदण्डय' भी कहा गया। ऋग्वैदिक–काल में 'क्षतिपूर्ति' का नियम लागू था, जिसके अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति के परिवार व सम्बन्धियों को धन दिया जाता था व उनकी क्षतिपूर्ति अपराध करने वाले के द्वारा की जाती थी। प्रथाओं व परम्परागत नियमों को राज्य के कानून के तौर पर मान्यता प्राप्त थी जिसकी अवहेलना राजा द्वारा भी नहीं की जा सकती थी। दण्ड; अपराध की प्रवृत्ति पर आधारित होते थे। साधारणतः दण्ड का उद्देश्य अपराधी को सजा देना तथा जिसके साथ अपराध कारित हुआ, को न्याय व क्षतिपूर्ति द्वारा संतुष्ट करना था। दत्तक पुत्र ग्रहण करने का कानून भी वैदिक–काल में प्रचलित था।

राजा न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी था। सर्तकता के उद्देश्य से गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था, जिसकी वजह से अपराध की दर बहुत ही कम होती थी। डा0 राधा कुमार मुखर्जी के अनुसार ''न्याय–व्यवस्था बहुत ही उत्तम स्तर की थी और यह आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत व किसी प्रकार के बदले की भावना पर आधारित नहीं थी। मृत्यु–दण्ड जघन्य अपराधों के लिए दिया जाता था। साधारणतया, साधारण अपराधों के लिए आर्थिक–दण्ड व जेल की सजा दी जाती थी।'' अतः यह ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिकः काल में न्याय– व्यवस्था; प्राकृतिक–न्याय के आदर्श पर आधारित थी। उत्तर–वैदिककाल में भी न्याय के प्रशासन में, राजा का स्थान सर्वप्रमुख का रहा। वह कानून घोषित कर सकता था तथा धर्म का पालन करवा सकता था। परन्तु राज कार्य में अधिकतर संलग्न होने के कारण उसने अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रस्थापन 'अध्यक्षो' को करना आरंभ कर दिया था, ताकि न्याय–प्रबन्धन में अनुचित देरी से बचा जा सके। साधारण व दीवानी मामलों को साधारणतया; सुलह–सफाई की पद्धति अपना कर हल कर दिया जाता था। ग्राम स्तर पर छोटे–छोटे मुकदमों को 'ग्राम–जज' व 'ग्रामबद्दीन' द्वारा सुलझाया जाता था। फौजदारी अपराधी प्रकरणों में बदले की भावना को मान्यता दी जाती थी। ब्राह्मण की हत्या को जघन्य अपराध माना जाता था तथा देश–द्रोह को भी जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। इन अपराधों की सजा मृत्य–दण्ड निश्चित की गई थी।

छठी शताब्दी ई0पू0 में भारत में मगध साम्राज्य का विस्तार भारत के बड़े भू–भाग पर था। मौर्यकाल में न्याय–व्यवस्था काफी विकसित हो चुकी थी। दीवानी और फौजदारी; दोनों प्रकार के कानून प्रचलित थे। राजकीय अधिकारी इन कानूनों का पालन करवाते थे। अपराधियों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था थी, जैसे कोड़े लगाना, जीभ खींचना, सिर काट लेना आदि। कुछ फौजदारी मामलों में जैसा अपराध होता था, वैसा ही दण्ड दिया जाता था। दण्ड देते समय अपराधी की सामाजिक स्थिति का ध्यान भी रखा जाता था।'' समाज में रीति–रिवाजों का विशेष महत्व था। समुदायों में, बहुत सी बातों का निर्णय रीति–रिवाजों के आधार पर कर लिया जाता था। इस काल की न्याय–व्यवस्था वर्ण–व्यवस्था पर आधारित थी। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को अपराध करने पर हल्का दण्ड दिया जाता था, जबकि वैसे ही अपराध के लिए शूद्र को कठोर दण्ड दिया जाता था।

मौर्यकाल में, राजा न्याय–प्रशासन के शिखर पर था, परन्तु उसे साधारणतः पहले से प्रचलित व स्थापित कानून का ही पालन करना होता था। राजा न्याय–प्रशासन का प्रमुख था, परन्तु न्याय के विशेष आयोग ; शहरों व देश में प्रचलित थे, जो 'महामन्त्र' और 'रजुकास' नामक अधिकारियों द्वारा संचालित होते थे। दीवानी व फौजदारी के अलग–अलग न्यायालय थे। मौर्यकाल में देशीय व क्षेत्रीय न्यायालयों की भी स्थापना की गई थी। प्रत्येक न्यायालय ने तीन न्यायाधीश व तीन आयुक्त होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है। दीवानी मुकदमें सुनने वाले न्यायालय को 'धर्मस्थीय न्यायालय व फौजदारी व अपराधिक कृत्यों से सम्बन्धित मुकदमे सुनने वाले न्यायालय को 'कटंकशोधन न्यायालय' कहा जाता था। ये न्यायालय साधारणतया भिन्न–भिन्न प्रशासकीय शहरों, जिलों, जनपद–संधि, संग्रहाना, द्रोणमुख और स्थानीय में स्थिति थे। धर्मस्थीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार; समझौतों, सन्धियों, उपहार, क्रय–विक्रय, विवाद, उत्तराधिाकार, सीमा सम्बन्धी विवाह तक था। ''कष्टकशोधन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार ; अपराधिक कृत्यों, चोरी, लूट, हत्या, मार–पीट, लड़ाई–झगड़े व यौन अपराधों तक था।'' धर्मस्थीय व कण्टकशोधन न्यायालय के अतिरिक्त ग्राम न्यायालयों का वर्णन भी अर्थशास्त्र में आया है; ये ग्राम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में देशीय व क्षेत्रीय न्यायालयों से स्वनिर्भर थे, इन न्यायालयों के निर्णय गाँव के ही प्रबुद्ध व विद्वान बुजुर्गो द्वारा किये जाते थे। उन्हें न्याय की शक्तियाँ दी जाती थी। डा0 दिकशितर के अनुसार न्यायिक–व्यवस्था में न्यायालयों का उचित वर्गीकरण उपलब्ध था। ग्राम स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्चय न्यायालय तक की व्यवस्था उपलब्ध थी। स्थानीय–सामाजिक–व्यवहारों व प्रथाओं का सम्मान सरकार द्वारा किया जाता था। अपीलयी न्यायालयों की व्यवस्था के कारण निम्न न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध ऊपरी न्यायालयों में अपील की जा सकती थी। ऐसी व्यवस्था के होते हुए भी राजा अपनी प्रजा से सीधे शिकायतें प्राप्त कर सकता था तथा उनका निवारण समस्या की प्रवृत्ति व न्यायिक आवश्यकता के अनुसार कर सकता था। राजा, वास्तव में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय था तथा साथ ही न्याय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी रखता था। वह सभी प्रकार के मुकदमों को सुन सकता था व अपने आदेश दे सकता था, जो सभी सम्बन्धित पक्षों पर समान रूप से लागू होते थे। दीवानी मुकदमों में हिन्दू–कानून जो कि हिन्दू–शास्त्रों में दिया गया है, को अपनाया जाता था। ''यूनानी लेखकों के अनुसार– मौर्य काल में अपराध न्याय–संहिता का पालन कड़ाई से किया जाता था।'' ''सिद्धान्त; यह था कि जो दोषी है; उन्हें प्रताड़ना दी

जा सकती है''। प्रताड़ना के 18 नियम (ब्वकम) थे और कोड़े लगाने की सात अलग–अलग किस्में थीं। यह संज्ञान का विषय है कि यूनानी विद्वान मैंग्स्थनीज और कौटिल्य दोनों ने ही कठोर दण्ड–विधान के प्रचलन को प्रमाणित किया है।

निष्कर्ष: अतः तत्कालीन साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि 'कानूनी प्रताड़ना' का नियम जैसे; कोड़े लगाना आदि का प्रयोग बड़े व खुले तौर पर अपराधियों से अपराध स्वीकार करवाने में किया जाता था। मौर्यकाल की न्याय–व्यवस्था की सफलता के बारे में मैगस्थनीज का यह कहना कि मौर्यो की कठोर न्याय–व्यवस्था के परिणामस्वरूप; अपराध व चोरी जैसे कृत्य यदा–कदा ही होते थे और आम लोगों का सरकार व न्याय–व्यवस्था पर इतना विश्वास था कि लोग अपने घरों को खुला छोड़ देते थे व किसी प्रकार के ताले नहीं लगाते थे। अतः यह कहना उचित होगा कि मौर्यकालीन न्याय–व्यवस्था अपने उद्देश्य में सफल रही।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से हमें ज्ञात होता है कि न्याय–व्यवस्था एक क्रमिक प्रक्रिया से गुजरती हुई विकसित हुई है। प्राचीन साहित्य में न्याय की धारणा पर महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। श्रुतियों, स्मृतियों, महाकाव्यों, वेदों, पुराणों आदि महत्वपूर्ण साहित्य; प्राचीन भारत की जानकारी के महत्वपूर्ण स्त्रोत सिद्ध हुए हैं। विद्वानों ने इन ग्रन्थों की प्रमाणिकता भी सिद्ध की है। अतः प्राचीन भारत में न्याय को एक पवित्र कर्त्तव्य के तौर पर देखा गया। प्राचीन साहित्य के अध्ययन व विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि राज्य कार्य में राजा की भूमिका चुनौतीपूर्ण थी तथा वह ही शासन की आधारशिला था। यद्यपि राजा पर भी न्याय व धर्म के बन्धन लगे थे। ऐसा होते हुए भी राजा न्याय–व्यवस्था व हिन्दू राजनीति का एक प्रमुख पहलू था। अतः प्राचीन भारत में न्याय–व्यवस्था काफी उन्नत थी व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का साधारणतया: पालन किया जाता था।

संदर्भ **:**

(1) त्रिपाठी, आर0एस0 : दी अरर्ली वैदिक ऐज, पृ0 37.

***(2)** प्रसाद, डॉ0 माता : भारतीय इतिहास, पृ0 24.*

***(3)** दीपक, डॉ0 कुलदीपराज : भारत का प्राचीन इतिहास, भाग–1 (सरस्वती प्रकाशन), पृ0 102.*

***(4)** फ्रावले, डेविड : वैदिक आर्यनस एण्ड ऊरिजन ऑफ सिवलाईजेशन, पृ0 79.*

***(5)** दीपक, डॉ0 कुलदीपराज : भारत का प्राचीन इतिहास भाग–1, पृ0 105.*

❁ ❁

UGC - APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

Print

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

(1) शोध-पत्र **1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं** होना चाहिए।

(2) **हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10** (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(3) **पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि** (AnmolLipi) या **अमृत बोली** (Amritboli) या **जॉय** (Joy) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(4) अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाईम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' या 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' में भेजे जा सकते हैं।

(4) शोधपत्र की विधि - (1) शीर्षक (2) एबस्ट्रेक्ट (3) की-वर्ड्स (5) प्रस्तावना/प्रवेश (5) उद्देश्य (6) शोध परिकल्पना (7) शोध प्रविधि एवं क्षेत्र (8) सांख्यिकीय तकनीक (9) विवेचन या विश्लेषण (10) सुझाव (11) निष्कर्ष एवं (12) संदर्भ ग्रंथ सूची।

(6) संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -

For Books :

(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.

For Journals :

(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume ....., Issue ....., Page Numbers.

Web references :

http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html

(7) **गुजराती माध्यम** के शोधपत्र **हरेकृष्णा (Harekrishna), टेराफोंट वरुण (Terafont Varun), टेराफोंट आकाश (Terafont Aaksah)** में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजे जा सकते हैं।

(8) शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हॉर्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर 'रिसर्च लिंक' के कार्यालय को प्रेषित करें।

❁ ❁

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : History
Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 158-160
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और पटना प्रमंडल के समाजवादी

प्रस्तुत शोधपत्र 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन और पटना प्रमंडल के समाजवादी से सम्बंधित है। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में बिहार का योगदान सर्वोपरि रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के आह्वान पर सम्पूर्ण बिहार क्रांति रुपी आग में कूद पड़ा। इस आन्दोलन में सभी वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक तथा दृढ़ निश्चय के साथ हिस्सा लिया। इस आन्दोलन में किसान और मजदूरों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस आन्दोलन में पटना प्रमंडल के समाजवादियों के साथ शीलभद्र याजी का भी विशेष योगदान रहा है।

सुधा कुमारी

परिचय :

भारत छोड़ो आन्दोलन का छात्रों पर विशेष असर पड़ा। राजेन्द्र प्रसाद की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही पटना के छात्रों का एक विशाल जुलूस पटना की प्रमुख सड़कों से गुजरता हुआ विश्वविद्यालय के आहाते में पहुँचकर एक सभा में परिणत हो गया। श्री सूरज देव सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। भाषणों में राजेन्द्र बाबू की गिरफ्तारी की भर्त्सना की गयी। कांग्रेस की नीति एवं कार्यक्रम के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। आजादी की लड़ाई में आगे आकर भाग लेने की छात्रों से अपील की गयी।[(1)]

10 अगस्त को ही पटना के छात्रों ने विधन सभा भवन पर झंडा फहराने का संकल्प किया। 11 अगस्त को सुबह में जब छात्रों का जुलूस पटना सचिवालय के पास पहुँचा, तब वहाँ 20 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गयी। 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और 'करो या मरो' के नारे के साथ हाथ में तिरंगा झंडा लिए लोग आगे बढ़ रहे थे। उनके नारों से अंग्रेज शासकों के कान फटने लगे। जुलूस रोकने का आदेश हुआ मगर ये कब रुकने वाले थे? पटना के जिलाधीश डब्लू. जी. आर्चर को गोली चलाने का आदेश हुआ। देखते ही देखते सात छात्र आजादी के बलि वेदी पर कुर्बान हो गए। 25 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन सात शहीदों के नाम इस प्रकार हैं–उमाकांत प्रसाद, नरेन्द्रपुर (सारण), रामानंद सिंह, शहादत नगर–मसौढ़ी (पटना) सतीश प्रसाद झा, खरहरा (भागलपुर), जगपति कुमार, खराढ़ ओबरा (गया), देवीपद चौधरी, जमालपुर सिलहट, राजेन्द्र सिंह, वनवारीचक (सारण), रामगोविन्द सिंह, दशरथ (पटना)[(2)] ये जहाँ शहीद हुए वही पर पटना सचिवालय के सामने आज उनका एक स्मारक बना हुआ है, जिसे शहीद स्मारक के नाम से पुकारा जाता है।[(3)]

उमाकांत प्रसाद सिन्हा की मृत्यु पटना कॉलेज अस्पताल में हुयी। जब घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचाया गया, तब उन्होंने उपचार करने वाले डाक्टर से पूछा–'डाक्टर मेरी पीठ में गोली तो नहीं लगी'? डाक्टर के नहीं कहने पर उनका चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने भारत माता की जयकार की और गिरे तो उठे नहीं।[(4)]

सचिवालय गोली कांड की खबर फैलते ही नगर में सभी दुकानें तुरन्त बंद हो गयी। अधिकारियों के प्रति रोष क्षोभ एवं घृणा लोगों के मन में भर रही थी। नगर में तनाव और उत्तेजना थी। सचिवालय के अनेक कर्मचारी ने जुलूस संध्या समय गर्दनीबाग में निकला। इनका नेतृत्व पी. एच. डी. के स्टोर कीपर श्री डी. पी. त्रिपाठी कर रहे थे। जुलूस गोली कांड के विरोध में नारा लगा रहा था।[(5)]

12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। विद्यार्थी, वकील, दुकानदार चाहे वे हिन्दू हो या मुस्लिम सभी ने इसमें अपूर्व उत्साह के साथ भाग लिया। इसी दिन 'बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी' के महामाया बाबू पटना स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए। कालांतर में वे कट्टर समाजवादी हो गए। बम्बई की ओर से पटना जंक्शन पहुँचे श्री सत्यनारायण सिंह, प्रधानमंत्री, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी स्टेशन पर पुलिस की हिरासत में ले लिए गए।[(6)]

पटना के जिलाधीश डब्लू. जी. आर्चर ने धारा 144 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके 13 अगस्त से पटना सिटी और पटना अनुमंडल में चार से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। 13 अगस्त के 7 बजे शाम से 5 बजे भोर तक इन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा रहा।[(7)]

बाँकीपुर जेल क्रांति का बिजली घर बना रहा था। राजेन्द्र बाबू, श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह बाबू, अब तो सत्यनारायण बाबू सबके

शोधार्थी (इतिहास विभाग), मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार)

सब वहाँ मौजूद थे। सब में उत्साह था और क्रांति की एक एक खबर उनके उत्साह को दोगुना–चौगुना कर रही थी।[8]

13 अगस्त को प्रांत भर में अनेक स्थानों पर रेल की पटरियाँ उखाड़ने एवं तार काटने की वारदातें होती रही। डाकघरों, रेलवे स्टेशनों तथा सरकारी इमारतों को जलाया गया तथा पुलिस पर आक्रमण किए गए।

'भारत छोड़ो आन्दोलन' के दौरान शीलभद्र याजी फारवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष थे। उनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी था।

12 अगस्त को बख्तियारपुर थाने पर जनता ने झंडा फहराने का निश्चय किया। चारों ओर बरसात का पानी था। जिसे सत्याग्रहियों ने नाव से व तैरकर पार किया। थाने वाले भी आर्चर साहब की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि झंडा नहीं फहराने देंगे। उन्हें सत्याग्रहियों ने अपने प्रोग्राम की सूचना दे दी थी। इसलिए अनवारूल हक दारोगा पिस्तौल लिए चौकसी कर रहे थे। अपनी पीठ पर उसने हथियार बंद और लट्ठधर पुलिस और चौकीदारों को भी जुटा रखा था। पर राम वरण सिंह, 'सारथि' धड़धड़ाते हुए थाने घुस गए। झंडा फहराने की चेष्टा में गिरफ्तार होकर के हवालात में बंद कर दिए गए। जनता बिगड़ उठी और हवालात से उन्हें छुड़ा लेना चाहा। किन्तु पुलिस का इंतजाम काफी जबरदस्त था जब तक पुलिस में भगदड़ न मचती तब तक थाने में जनता का घुसना सहज न था। इसलिए जनता ने थाने पर ढेले बरसाना शुरू किया। श्री नाथू प्रसाद यादव जनता को ढेले फेकने से रोक रहे थे और साथ ही थाने में घुसे जा रहे थे। अनवारुल हक ने थाने में दाखिल होने से मना किया और उनकी ओर पिस्तौल सीधी की। पर नाथू प्रसाद जी बेपरवाह बढ़ते गए और छाती में दारोगा की गोली लेकर शहीद हो गए।[9]

उनकी शहादत ने बख्तियारपुर में खलबली मचा दी। जनता आवेश में आ गयी और इतनी तायदाद में इकट्ठी हो गयी कि पुलिस से कुछ करते धरते न बना और सारथी जी हवालात से छुड़ा लिए गए।[10]

रेलवे और संचार अस्त व्यस्त हो चुका था। क्योंकि अनेक स्थानों पर रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गयी थी। सौभाग्य वस किसी यात्री को चोट नहीं आई और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। मेन लाइन पर गाड़ियों का आना जाना रुक गया। क्योंकि कई स्थानों पर रेल की पटरियाँ उखाड़ी जा चुकी थी। डाउन पंजाब मेल पर आक्रमण हुआ और डुमरा एवं अन्य स्टेशनों पर भीड़ ने आक्रमण कर के कागज–पत्र विनष्ट कर दिए। अन्य प्रकार की क्षति भी पहुँचाई गयी। फतुहा में डाकघर लूट लिया गया। बख्तियारपुर थाना पर आक्रमण करके दारोगा का आवास जला दिया गया। दारोगा ने भीड़ पर गोलियाँ चलाई जिससे एक व्यक्ति मारा गया और कुछ अन्य घायल हुए।[11] जनता द्वारा पुलिस थानों पर धावा बोलने की घटनाओं में बिहार सबसे आगे था।[12]

बिहटा में भी सत्याग्रहियों ने 80 बोगी वाली मिलिट्री गाड़ी पर धावा बोल दिया। उसमें एक बोगी किरासन की थी। इसमें आग लगा दी गई। चीनी, तेल, गुड़ आदि चीजों की लूट हो गई। बिहटा चीनी मिल के इंजीनियर पाल साहब ने रिंच, पिलास आदि उपकरणों सहित सत्याग्रहियों का साथ दिया। रेल की पटरियाँ खोल दी जाती थी, उन पटरियों को चाट में गिरा दिया था। इस तरह रेलगाड़ियों का आवागमन ठप्प हो जाता था। रेल ड्राइवर रेल को जोड़ते हुये आता था तब कहीं सेवा बहाल हो पाती थी। बिहटा रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस ने गोली चलाई। करीब 4–5 लड़के शहीद हो गए। सरकार का हवाई हमला भी करने का इरादा था। लेकिन चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) जी. पी. गॉडवेले के हस्तक्षेप से बिहटा पर हवाई हमला रुका। अंग्रेज सिपाही गांव को घेर कर घर–घर की तलाशी लेते थे।[13]

13 सितम्बर को श्री श्यामनारायण सिंह और श्री लाल सिंह त्यागी के साथ बख्तियारपुर थाना के बिरजू मिल्की में जय नारायण लाल गिरफ्तार कर लिये गये। उनके साथ 4 मल्लाह भी पकड़े गए। तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछ आपत्तिजनक कागजात रखने के अभियोग में दो–दो वर्ष की सजा दी गई। इनके पास से कांग्रेस के कुछ परिपत्र एवं बुलेटिन आदि बरामद हुए थे। पटना जिला कांग्रेस कमिटी के सचिव अवधेश्वर कुमार सिन्हा को 23 सितम्बर 1942 को बिहार शरीफ थाना में पकड़ लिया गया।[14]

सरकार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाये। सरकार द्वारा गोरी पुलिस एवं भारतीय सेना का सहारा लिया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुलिस और सेना भेजी गयी। आन्दोलन को नृशंसतापूर्वक दबा दिया गया। कभी–कभी सेना आगजनी और लूटपाट में लग जाती थी। गाँव के गाँव जला दिए गए। बच्चे, बूढ़े तक को शारीरिक यातनाएँ दी जाने लगी। जो गाँव अशांत थे, उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। जहाँ जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था, वहाँ सरकार ने हवाई जहाजों से गोलियाँ बरसाई। महिलाओं एवं बच्चों समेत हजारों लोगों को बंदी बनाया गया।

ग्रामीणों के अनाज से भरे हुए मिट्टी के बर्तनों को फोड़ देती थी, इस तरह पुलिस ग्रामीणों पर अत्याचार करती थी।[15] अनाज के बर्तन फोड़ने की घटना से पता चलता है कि वह ग्रामीणों को भूखे मरने के लिए मजबूर करती थी, ताकि स्वतंत्रता रूपी आन्दोलन में किसान फिर सिर न उठा सके। पर ग्रामीण कहाँ रुकने वाले थे? वे दृढ़ संकल्प के साथ स्वतंत्रता के समर में कूद पड़े थे। न उनको घर की चिंता थी न परिवार की। उनके सिर पर केवल एक धुन सवार था–'अंग्रेजों भारत छोड़ो।'

सरकार अपना दमन चक्र प्रांत भर में चला रही थी। देश की आजादी की पुकार पर छात्रों की भारी संख्या, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 13 अगस्त, 1942 को एक सरकारी अधिसूचना जारी की गयी, इसमें पटना विश्वविद्यालय के चांसलर ने पटना के सभी कॉलेजों और छात्रावासों को वर्तमान आपातकाल के कारण एक महीना के लिए तुरन्त बंद कर दिया।[16]

राजेन्द्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि न मालूम कितने ही आदमी पुलिस और फौज की गोलियों के शिकार हुए। कितनों के घर जलाये और लूटे गए। कितनों को अन्य प्रकार की अकथनीय यातनाएँ सहनी पड़ी।[17] 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन से यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजों की सत्ता के लिए चुनौती केवल नगरों तक सीमित नहीं वरन् गाँवों में भी मौजूद थी।[18] आन्दोलन के दौरान शीलभद्र याजी ने गाँव, गली–गली में जाकर देश की जनता को आजादी के लिए ललकारा था।[19]

1942 की अगस्त क्रांति अंग्रेजों द्वारा दबा दी गई। बिहार में क्रांतिकारी नेताओं ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। सरकार के सख्त आदेश के बावजूद वे नहीं झुके। सर्चलाइट, इण्डियन नेशन आदि अखबारों को बंद कर दिया गया। पटना में डेली न्यूज नामक सरकारी समाचार–पत्र ही छपता रहा। लगता था मानो शमशानी शांति सर्वत्र विराजमान हो गयी है। समाचार सेंसर कानून का विरोध के. श्री. श्रीवासन की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 1943 को किया गया। पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगाने संबंधी आदेश की निंदा की गयी। अनेक विधियों से सरकार ने दमन चक्र चलाकर रोक लगायें। स्कूल, कॉलेज बंद कर दिये गये। धीरे–धीरे स्थिति में सुधार आया। 25 मार्च, 1943 से सर्चलाइट ने पुनः अपना प्रकाशन शुरू किया।[20] इस काल में शीलभद्र याजी गुप्त रूप से फारवर्ड ब्लॉक का कार्य करते रहे।

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान भूमिगत होकर याजी जी ने अपना कार्यक्रम दिल्ली और बम्बई में ही चलाकर देश की आजादी के लिए कार्य किया। दिसम्बर, 1943 में बदले हुए वेष में वे बम्बई में गिरफ्तार हो गए। दिल्ली के लाल किला में इनका कोर्ट मार्शल हुआ। वी. एल. सुन्दर राव के सहयोगी के रूप में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते याजी जी ने सम्पूर्ण दक्षिण भारत की यात्रा की। 1946 तक वे दक्षिण भारत में रहे। इन यात्राओं का प्रबंध वी. एल. सुन्दर राव ने किया था। मुकुन्द लाल सरकार उस समय प्रतिष्ठित नेता थे, जो इंटक के संस्थापक सदस्य भी थे। मुकुन्दलाल सरकार ने याजी जी को सक्रिय सहयोग दिया। देश की आजादी के बाद शीलभद्र याजी अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के अध्यक्ष रहे। वे आजीवन वैज्ञानिक समाजवाद की वकालत की।

महात्मा गाँधी द्वारा चलाये गये भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान याजी जी ने भी हिस्सा लिया था। आन्दोलन के पूर्व याजी जी 1940 में डीफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए थे और हजारीबाग जेल में थे। वे मार्च, 1942 में रिहा हुए थे। 1939 में कांग्रेस ने तीन वर्षों के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। जब भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ होने वाला था तब शीलभद्र याजी का पुनः कांग्रेस में स्वागत हुआ।[20] उस समय शीलभद्र याजी फारवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष थे। इस तरह याजी जी कांग्रेस और फारवर्ड ब्लॉक दोनों दल के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कार्य कर रहे थे।

कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक (14 जुलाई, 1942) में संघर्ष के निर्णय पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। अगले महीने 'अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी' की बैठक होने वाली थी। जिसमें इस प्रस्ताव का अनुमोदन होना था। यह ऐतिहासिक सभा बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई। इस सभा में जनता का उत्साह देखते ही बनता था। अंदर नेता विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श कर रहे थे और बाहर जन समूह उमड़ रहा था। नेताओं के निर्णय को जानने की उत्सुकता इतनी थी कि खुले अधिवेशन में जब भाषण होने लगे तो हजारों हजार की भीड़ के बावजूद सभा में पूरी शांति थी।

निष्कर्ष :

इस प्रकार स्पष्ट है कि 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय बिहारवासियों का भरपूर सहयोग रहा। स्वतंत्रता–सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजी हुकूमत को भारत से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस दौरान पटना प्रमण्डल के क्रांतिकारियों और समाजवादियों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया था।

<u>संदर्भ</u> :

(1) दत्त, के.के. : 'बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास', भाग 3, पृ. 31.

(2) आचार्य, धर्मेन्द : पूर्वोक्त।

(3) श्रीवास्तव, डॉ. एन. एम. पी. (1998) : 'बिहार में राष्ट्रीयता का विकास', बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृष्ठ 135.

(4) सर्चलाइट – 12 अगस्त, 1942.

(5) दत्त, के. के. : पूर्वोक्त, पृ. 43.

(6) नारायण, बलदेव : 'अगस्त क्रांति', पृ. 59.

(7) दत्त, के. के. : पूर्वोक्त, पृ. 45.

(8) नारायण, बलदेव : पूर्वोक्त, पृ. 59.

(9) पूर्वोक्त, पृ. 62–63.

(10) पूर्वोक्त, पृ. 63.

(11) दत्त, के. के. : पूर्वोक्त, पृ. 46.

(12) होम पोलिटिकल – 3/52/1943 एन. ए. आई. नई दिल्ली।

(13) सिंह, जयराम (फारवर्ड ब्लॉक के नेता) से साक्षात्कार, 22. 7.2001.

(14) दत्त, के. के. : पूर्वोक्त, पृ. 90.

(15) स्वामी विमलानंद सरस्वती (स्वतंत्रता सेनानी) से साक्षात्कार, 26.8.2001.

(16) दत्त, के. के. : पूर्वोक्त, पृ. 54.

(17) प्रसाद, राजेन्द्र : आत्मकथा, पृ. 693–94.

(18) याजी, सत्यानंद : 'गाँधी सुभाष के सशक्त, सनातन साथी, श्रेष्ठ सेनानी शीलभद्र याजी', पृ. 5.

(19) याजी, सत्यानंद : 'शीलभद्र याजी ए मल्टी स्प्लेंडोरड जीनियस', पृ. 9.

(20) याजी, सत्यानंद : 'गाँधी सुभाष के सशक्त, सनातन साथी, श्रेष्ठ सेनानी शीलभद्र याजी', पृ. 5.

UGC -
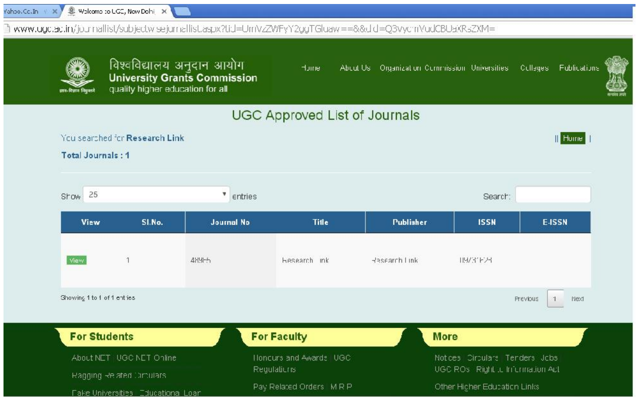
APPROVED - JOURNAL